

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

कुम्भाराम

बनाम

कृष्णलाल

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.


नम्बर 56

सन-2022

हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल जज

नम्बर व तारिख
अहकाम जो इस
हुकम का तामील
में जारी हुए

वकील सायल ने यह प्रार्थना -पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान/अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 484/122 की कुल 9.1080हैक् व रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 207/153 की कुल 2.7830हैक् व रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 103/26 की कुल 0.5060हैक् भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान आगामी तारीख पेशी तक नहीं किया जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं स्थगन आदेश खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नहीं होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 10.06.2022 को पेश हो।


सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब
अन्त काय से कास्त है।
पत्रावली दि. 24/6/22 को पेश हो।

~~वकील सायल उपस्थित गोरखाम लखनवा 1/7/22~~
~~वी उपस्थित श्री महेश चन्द्र शर्मा अविपक्षी~~
~~उपस्थित गोरखाम लखनवा पत्रावली का~~
~~बधुन दिनांक 30/6/22 को पेश हुई~~

29/6/24

उत्कल सायल के निवेदन पर
पत्रावली (पत्र) में ली गई
उत्कल सायल / सायल के निवेदन
विषय की वह अपना प्राथमिक
पत्र ली चर्चा (अ-धारा) ए
उत्कल सायल /

सायल स्वयं के पत्र
अपना प्राथमिक ली चर्चा
के पत्र / उत्कल विषय जाल
ए उत्कल सायल /